कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर को सम्बोधित विशेष सचिव महामहिम कुलाधिपति के पत्र संख्या–ई.स./3816/जी.एस. दिनांक 19 मई, 2004 की टंकित प्रतिः–

आपके पत्र संख्या–5930/सम्बद्धता/2003 दिनांक 29.04.2004 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ. प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37(2) तथा संशोधन अधिनियम 2003 की धारा–5 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन बाबू राम सिंह महाविद्यालय, खाड़पाथर मुरधवा, सोनभद्र को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल एवं प्राचीन इतिहास विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2004 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:–

1 महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होते ही प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

2 संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या– 2851/सत्तर–2–2003–16 (92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेश का पालन करेगी।

3 यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

****

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर

पत्रांकः 6542/सम्बद्धता/2004 दिनांक– 7-7-20

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रबन्धक/प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, खाड़पाथर मुरधवा, सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करने का कष्ट करें। तथा समस्त शर्तों की पूर्ति अविलम्ब सुनिश्चित कर विश्वविद्यालय को सूचित करें अन्यथा की स्थिति में अगले शिक्षा सत्र से कोई भी नया प्रवेश नहीं लेंगे। तथा अधिकतम 320 सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित करें।

2 उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/शैक्षणिक।

कुलसचिव

प्राचार्य
बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, रेनूकुट, सोनभद्र

Scanned with OKEN Scanner

कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0/ 6193 /05–629–2024/2024 दिनांक 28 जुलाई, 2024

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाड़पाथर, मुर्धवा, रेनुकूट,
सोनभद्र।

विषयः **महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा तथा विज्ञान संकाय में जैव प्रौद्योगिकी एवं सैन्य विज्ञान विषयों के संचालन हेतु** सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक **30.01.2024** के सन्दर्भ में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–975/79–1–14–1(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37 एवं 38 में किए गये संशोधन के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में अन्तरित/निहित किए जाने के फलस्वरूप सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या–2527/सत्तर–2–2008–2 (166) 2002 दिनांक 10 जून, 2008 के अधीन गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक **24.07.2024** की संस्तुति एवं मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में **बाबू राम सिंह महाविद्यालय, खाड़पाथर, मुर्धवा, रेनुकूट, सोनभद्र** को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा तथा विज्ञान संकाय में जैव प्रौद्योगिकी एवं सैन्य विज्ञान विषयों** की सम्बद्धता (स्थायी) के लिए प्राप्त प्रस्ताव के सम्यक परीक्षणोपरान्त **सैन्य विज्ञान** विषय में **प्रवक्ता अनुमोदन एवं छात्र उपलब्धता न होने के कारण सैन्य विज्ञान विषय में सत्र 2024–25 से प्रवेश प्रतिबन्धित किये जाने तथा शेष विषयों स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा तथा विज्ञान संकाय में जैव प्रौद्योगिकी विषयों के प्रस्ताव में इंगित कमियों यथा सत्र 2023–2024 का परीक्षाफल न होने** के दृष्टिगत उक्त विषयों में अधोलिखित शर्तों के अधीन **दिनांक 01.07.2024 से एक वर्ष** हेतु **सम्बद्धता विस्तरण** की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. **महाविद्यालय द्वारा उक्त विषयों हेतु शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के अनुरूप मानकानुसार परीक्षा (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने पर सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति के आदेश को बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2024 से सम्बद्धता (स्थायी) का आदेश निर्गत किया जायेगा।**
2. **संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा 37 (2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।**
3. **संस्था/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 15 अगस्त तक इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।**
4. **महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16 (92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशो एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।**
5. **रिट याचिका सं0–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2 (650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के साथ ही शासनादेश सं0–226/सत्तर–2–2020–18(31)/2018 दिनांक 13.03.2020 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।**
6. **यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।**

2

Scanned with OKEN Scanner

7. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये अभिलेख भविष्य में इतर पाये जाने की सगंज, सम्बंधित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद को तत्काल सूचित किया जायेगा जिस र्षीय महाविद्यालय प्रबंधन पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
8. सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन न किये जाने, मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचाल पाये जानेएवं अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आने पर सम्बद्धता वापस लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रकरण कार्यपरिषद को संदर्भित किया जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा–37(6), 37 (7) तथा 37 (8) में प्राविधानित अधोलिखित प्राविधान भी प्रभावी होंगेः–

37(6) :–कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय–समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जायेगी।

37(7) :–कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगी जो उसे उस अवधि के भीतर जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

37(8) :–कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तो को पूरा करने में असफल हो महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

10. <u>महाविद्यालय प्रबन्धक द्वारा कमियों की पूर्णता के साथ ही महाविद्यालय में संचालित विषयों/पाठ्यक्रम के सापेक्ष उपलब्ध भवन एन0बी0सी0 कोड–2005 के अनुरूप होने का प्रमाण एवं अद्यतन अग्निशमन प्रमाण पत्र व शर्तो के अनुपालन के सन्दर्भ में रू0 100/– का शपथ पत्र एक माह के अंदर प्रस्तुत किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में यह अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।</u>
11. उक्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने की स्थिति में आगामी सत्र में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :–

1– वै0स0 कुलपति – मा0 कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2– विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3– अधीक्षक (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करें।
4– परीक्षा नियंत्रक को इस आशय से कि उपर्युक्त शर्तो का अनुपालन किये जाने के उपरान्त ही परीक्षा से सम्बंधित कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।
5– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner